

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 11.09.2023

10000 रू0 का इनामियां गैंगेस्टर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर लूट/हत्या/चोरी/नकबजनी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 793/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त निखिल साहनी पुत्र मुन्शीलाल साहनी निवासी खोराबार सुबाबाजार थाना खोराबार गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्तगण का एक सुसंगठित गैंग है जिनके द्वारा अपने व अपने साथियों के अनुचित, भौतिक, आर्थिक व बुनयादी लाभ हेतु आये दिन चोरी, नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार गैंगेस्टर की कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 793/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर पंजीकृत हुआ था तभी से अभियुक्त निखिल साहनी गिरफ्तारी से बचने के लिये अपने आप को छिपा रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त निखिल उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु 10,000 रूपया का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

निखिल साहनी पुत्र मुन्शीलाल साहनी निवासी खोराबार सुबाबाजार थाना खोराबार गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 110/2021 धारा 380,411 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 136/2021 धारा 380,411 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
3. मु0अ0सं0- 137/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
4. मु0अ0सं0- 793/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी / कर्म0 का नाम व नियुक्ति स्थान

1. प्र0नि0 जयन्त कुमार सिंह, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. वरि0उ0नि0 अभिनव मिश्र, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. हे0का0बृजेश सिंह, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. का0 विक्रान्त सिंह, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर